

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 135 // आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)

विषय:- एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2533/अति.संचा/लेखा/2018 दिनांक 6.11.18 एवं क्रमांक 2531/अति. संचा/लेखा/2018 दिनांक 6.11.18

---0---


उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत छात्रवृत्ति स्नातक योग्यता के नवीनीकरण हेतु राशि रुपये 36,000/- की मांग की है।

2. अतः स्नातक योग्यता के लिये राशि रुपये 36,000/- (रुपये छत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :-

क	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग, रीवा म.प्र.	मॉग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विष्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियाँ 9999 (6064) योग्यता छात्रवृत्तियाँ (41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002	स्नातक योग्यता 36,000/-
		कुल योग	राशि रुपये 36,000/-

(रुपये छत्तीस हजार मात्र)

- विषयांकित छात्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।


(डॉ०सुषमा हुड्डा)
संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश


//2//

पृष्ठांकन क्र. 136/19/आउशि/छा/2019

भोपाल दिनांक 21/2/19

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, ए0पी0एस0 विश्वविद्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत
3. कोषालय अधिकारी, रीवा, मध्यप्रदेश ।
4. अपर संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा ,म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।


संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 137 // आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/11/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,

जबलपुर संभाग, जबलपुर (म0प्र0)

विषय:- एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातकोत्तर योग्यता/स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2727/अति.संचा/लेखा-छात्र/2018 दिनांक 5.11.18

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर योग्यता/ स्नातक योग्यता के नवीनीकरण हेतु राशि रूपये 34,400/-की मांग की है ।

2. अतः स्नातकोत्तर योग्यता के लिये राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) स्नातक योग्यता के लिये राशि रूपये 29,400/-(रूपये उनतीस हजार चार सौ मात्र) कुल योग राशि रूपये 34,400/-(रूपये चौतीस हजार चार सौ मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :

क्र	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग, जबलपुर म.प्र.	मॉग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियाँ (6064) योग्यता छात्रवृत्तियाँ (41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002	स्नातकोत्तर योग्यता 5,000/- स्नातक योग्यता 29,400/-
		कुल योग	राशि रूपये 34,400/-

(रूपये चौतीस हजार चार सौ मात्र)

3. विषयांकित छात्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
4. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक (वित्त)


//2//

पृष्ठांकन क्र. 138 /19/आउशि/छा/2019

भोपाल दिनांक 21/19

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत
3. कोषालय अधिकारी, जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर, म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


संचालक (वि.उ.)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 139 //आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
सागर संभाग, सागर (म0प्र0)

विषय:- एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातकोत्तर योग्यता/स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 70-71/अति.संचा/उशि./2019 दिनांक 14.1.19

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर योग्यता/ स्नातक योग्यता के नवीनीकरण हेतु राशि रूपये 1,90,000/-की मांग की है ।


2. अतः स्नातकोत्तर योग्यता के लिये राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) स्नातक योग्यता के लिये राशि रूपये 1,80,000/-(रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) कुल योग राशि रूपये 1,90,000/-(रूपये एक लाख नब्बे हजार मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :

क	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर संभाग, सागर म.प्र.	मॉग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियों 9999 (6064) योग्यता छात्रवृत्तियों (41) छात्रवृत्तियों एवं वृत्तियों-002	स्नातकोत्तर योग्यता 10,000/- स्नातक योग्यता 1,80,000/-
		कुल योग	राशि रूपये 1,90,000/-

(रूपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)

3. विषयांकित छात्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

4. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।


(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश


//2//

पृष्ठांकन क्र. 140/19/आउशि/छा/2019

भोपाल दिनांक 22/19

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत
3. कोषालय अधिकारी, सागर मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर संभाग सागर, म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 151 / / आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/12/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म0प्र0)

विषय:- एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातकोत्तर योग्यता/स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4541 /क्षे.का./उशि./छा./2019 दिनांक 21.12.18

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर योग्यता/ स्नातक योग्यता के नवीनीकरण हेतु राशि रूपये 1,52,200/-की मांग की है ।


2. अतः स्नातकोत्तर योग्यता के लिये राशि रूपये 24,000/- (रूपये चौबीस हजार मात्र) स्नातक योग्यता के लिये राशि रूपये 91,200/(रूपये इन्कानबे हजार दो सौ मात्र) कुल योग राशि रूपये 1,52,200/- (रूपये एक लाख बावन हजार दो सौ मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :

क	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म.प्र.	माँग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियाँ 9999 (6064) योग्यता छात्रवृत्तियाँ (41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002	स्नातकोत्तर योग्यता 24,000/- स्नातक योग्यता 91,200/-
		कुल योग	राशि रूपये 1,15,200/-

(रूपये एक लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र)

3. विषयांकित छात्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

4. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।


(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश


//2//

पृष्ठांकन क्र. 142/19/आउशि/छा/2019

भोपाल दिनांक 22/19

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
3. कोषालय अधिकारी, ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
4. अपर संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर संभाग ग्वालियर ,म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।


संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 143//आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
इन्दौर संभाग, इन्दौर (म0प्र0)

विषय:- एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातकोत्तर योग्यता/स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4607/क्षे.अति.संचा./शाखा-4/2019 दिनांक 31.12.18 एवं प्राचार्य शा.पी.जी.खण्डवा के पत्र क्र.2809/2018 दि. 27.12.18

—0—


उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर योग्यता/ स्नातक योग्यता के नवीनीकरण हेतु राशि रूपये 58,000/-की मांग की है ।

2. अतः स्नातकोत्तर योग्यता के लिये राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) स्नातक योग्यता के लिये राशि रूपये 33,000/(रूपये तैत्तीस हजार मात्र) कुल योग राशि रूपये 58,000/-(रूपये अठ्ठावन हजार मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :

क	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इन्दौर संभाग, इन्दौर म.प्र.	मॉग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियाँ 2222 (6064) योग्यता छात्रवृत्तियाँ (41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002	स्नातकोत्तर योग्यता 25,000/- स्नातक योग्यता 33,000/-
		कुल योग	राशि रूपये 58,000/-

(रूपये अठ्ठावन हजार मात्र)

3. विषयांकित छात्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
4. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी ।


(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश


//2//

पृष्ठांकन क्र. 144 /19/आउशि/छा/2019

भोपाल दिनांक 22/19

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
3. कोषालय अधिकारी, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
4. अपर संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इन्दौर संभाग इन्दौर ,म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।


संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 145//आउशि/छा/2019
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/11/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)

विषय:- एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातकोत्तर योग्यता/स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 959/अति.संचा/2019 दिनांक 26.11.18 एवं पत्र क्र. 961/अति.संचा/2019 दिनांक 26.11.18

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर योग्यता/ स्नातक योग्यता के नवीनीकरण हेतु राशि रूपये 13,000/-की मांग की है ।

2. अतः स्नातकोत्तर योग्यता के लिये राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) स्नातक योग्यता के लिये राशि रूपये 3,000/-(रूपये तीन हजार मात्र) कुल योग राशि रूपये 13,000/-(रूपये तेरह हजार मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :

क्र	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन म.प्र.	माँग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियाँ 9999 (6064) योग्यता छात्रवृत्तियाँ (41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002	स्नातकोत्तर योग्यता 10,000/- स्नातक योग्यता 3,000/-
		कुल योग	राशि रूपये 13,000/-

(रूपये तेरह हजार मात्र)

3. विषयांकित छात्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

4. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश


//2//

पृष्ठांकन क्र. 146/19/आउशि/छा/2019

भोपाल दिनांक 22/19

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
3. कोषालय अधिकारी, उज्जैन मध्यप्रदेश ।
4. अपर संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग उज्जैन, म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।


संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश